

**In the Court of ACJM, Teghra**

Case No. .... 11/24/16.

..... P.S. Case No. ....

Kishore Pd Singh Vs. .... Surendra Mahan Singh

24.5.24

अभिलेख के दिनांक 04.2.19 के आदेशानुसार  
 जी प्रती अंकित किया गया था, उसमें कम से कम  
 गलत अंकित हो गया है। जिसमें सुधार किया  
 जाता है अंकित प्रती - 1, 1/II, 1/III को 3, 3/II,  
 3/III अंकित किया जाता है। रामपत्र को प्रती  
 '2' एवं अरीफल केवाल का नमूना सुरेन्द्र  
 मोहन सिंह के नाम से ही को 'प्रती, 3-1  
 ② बलदेव सिंह बनाम सुरेन्द्र मोहन सिंहा, dated  
 11-4-84 को प्रती '1/II' एवं बलदेव सिंह  
 बनाम सुरेन्द्र मोहन सिंहा को प्रती '1/III' ④  
 बलदेव सिंह बनाम सुरेन्द्र मोहन सिंहा dated  
 11-4-84 को प्रती '1/III' अंकित किया जा रहा  
 है। दिनांक 12-05-23 के आदेशानुसार  
 ⑤ original certified copy of CWJC-20383/14  
 dated 6.9.22 के आदेश को प्रती '4' एवं  
 ⑥ IS-60/12 के आदेश फलक की सलाह  
 को प्रती '5' अंकित किया गया है। गवाह  
 सं-1 विरुद्ध सुरेन्द्र के द्वारा दिए गए गवाह के प्रती 10  
 को प्रती '3/III' को delete किया जा रहा है एवं सही  
 किया जा रहा है।

ACJM

fixed for  
 argument  
 31/05/24